

## राज्यपाल की भूमिका और शक्ति

### प्रलम्ब के लिये:

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान।

### मेन्स के लिये:

राज्यपाल-राज्य संबंधों में टकराव के बट्टि, अनुच्छेद 356, प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्त्तवी. चेलिया आयोग (2002)।

## चर्चा में क्यों?

राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 'दोहरी भूमिका' में कार्य करता है।

- हाल के वर्षों में राज्यों और राज्यपालों के बीच टकराव देखा गया है जो काफी हद तक सरकार बनाने, पार्टी के चयन, बहुमत साबति करने की समय-सीमा, वधियकों पर बैठकों को आयोजित करने और राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टपिणी करने को लेकर रहा है।

## प्रमुख बट्टि

### राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्त को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नयुक्त किया जा सकता है।
  - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्त होता है, जसि राष्ट्रपति द्वारा नयुक्त किया जाता है।
- संवधान के मुताबकि, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है।
  - वह राज्य के मंत्रपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
  - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।
- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को नरिदषिट किया गया है।
- राज्यपाल को संवधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडवरिम आदि की भी शक्ति प्राप्त् है।
- कुछ वविकाधीन शक्तियों के अतरिकित राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्रि की अध्यक्षता में एक मंत्रपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है। (अनुच्छेद 163)
- राज्य के मुख्यमंत्रि और अन्य मंत्रियों की नयुक्त राज्यपाल द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल, राज्य की वधानसभा द्वारा पारित वधियक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के वचार के लिये वधियक को सुरक्षति रखता है। (अनुच्छेद 200)**
- राज्यपाल कुछ वशिषिट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापति कर सकता है। (अनुच्छेद 213)

## राज्यपाल-राज्य संबंध

- राज्यपाल की परकिल्पना एक **गैर-राजनीतिक प्रमुख** के रूप में की जाती है, जसि मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिये। हालाँकि राज्यपाल को संवधान के तहत कुछ वविकाधीन शक्तियाँ प्राप्त् हैं। उदाहरण के लिये:
  - राज्य वधानमंडल द्वारा पारित **किसी वधियक को स्वीकृति देना या रोकना,**
  - किसी पार्टी को बहुमत साबति करने के लिये आवश्यक **समय का नरिधारण, या**
  - आमतौर पर किसी चुनाव में त्रशिकु जनादेश के बाद बहुमत साबति करने के लिये सबसे पहले कसि पार्टी को बुलाया जाना चाहिये।
- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह **राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** ही पद पर बना रह सकता है।
  - वर्ष 2001 में **संवधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग** ने माना कि राज्यपाल की नयुक्ति और संघ के लिये उसकी नरितरता आवश्यक है।

- ऐसी आशंका जाहरी की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।
- संवधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दशा-निर्देश नहीं हैं, जसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।
- राज्यपाल कतिने समय तक किसी विधायक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रपरिषद की सफारिशों का आधार बनाती है।

## कनि सुधारों का सुझाव दिया गया है?

- **राज्यपाल की नियुक्ति और नषिकासन के संबंध में:**
  - 'पुंछी आयोग' (2010) ने सफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभयिग चलाने का प्रावधान संवधान में शामिल किया जाना चाहिये।
  - राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिये।
- **अनुच्छेद-356 के संबंध में:**
  - 'पुंछी आयोग' ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सफारिश की थी।
  - 'सरकारिया आयोग' (1988) ने सफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विकल्प तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब संवधानिक तंत्र को बहाल करना अपरहिर्य हो गया हो।
  - इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्त वि. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सफारिशें की हैं।
- **अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में:**
  - **एस.आर. बोमई मामला (1994):** इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।
  - नरिणय के मुताबकि, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिये, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।
- **वविकाधीन शक्तियों के संबंध में:**
  - नबाम रेबिया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमति है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिये।

## आगे की राह

- **संघवाद का सुदृढीकरण:** राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
  - इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और संघवाद के विकल्प के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- **राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार:** राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार किये गए पैनल के आधार पर की जा सकती है, वही वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद को होना चाहिये, न कि केंद्र सरकार को।
- **राज्यपाल के लिये आचार संहति:** इस 'आचार संहति' में कुछ 'मानदंड और सदिधांत' निर्धारित किये जाने चाहिये, जो राज्यपाल के 'वविक' और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सकें।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस